कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा/माध्य./बजट/बी—1/पीईईओ/2017—18/34 दिनांक 12/02/2018

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य,
रा.माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय कम
पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी—समस्त।

विषयः—प्रारंभिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिकों का वेतन/मानदेय ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को दिये जाने के क्रम में।
प्रसंगः—इस कार्यालय का पत्रांक समसंख्यक 28—29 दिनांक 01.02.2018

विषयान्तर्गत इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश की निरन्तरता में अधीनस्थ कार्यालयों से वेतन आहरण में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैः—

1. सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत लेखामद 2202—01—111—01—00, 2202—01—111—02—00 एवं 2202—01—111—03—00 में शासन द्वारा 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में प्रावधान उपलब्ध कराया जाता है। उक्त लेखामदों में शाला दर्शन पोर्टल पर केवल केन्द्रीय सहायता अंकित है। इन लेखामदों में केन्द्रीय सहायता और राज्य निधि दोनो में अथवा किसी एक में राशि आवंटित की जा सकती है। उक्त लेखामदों में शाला दर्शन पोर्टल पर पद आवंटित होने पर पहले आई.एफ.एम.एस में बजट आवंटन की स्थिति जांच ले तथा केन्द्रीय सहायता अथवा राज्य निधि जिसमें भी बजट आवंटित हो उसमें ही विपत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू करें।
2. वित्त विभाग के आदेश दिनांक प.4(162)वित्त—1(1)आ.व्य./2016 जयपुर दिनांक 15.01.2018 तथा प.4(162)वित्त—1(1)आ.व्य./2016 जयपुर दिनांक 05.02.2018 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग को आहरण एवं वितरण अधिकारी के अधिकार प्रदान किये गये है। उक्त दोनो आदेशों की प्रति संलग्न है, जिसे संबंधित कोष/उपकोष कार्यालय को उपलब्ध करावें।

संलग्न - उपर्युक्तानुसार

लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि :—
1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. कोषाधिकारी, कोष/उपकोष कार्यालय समस्त।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प. 4(162) वित्त–1(1)आ.व्य./2016 जयपुर, दिनांक 05-02-18

–:आज्ञाः–

उप शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ.15(1)प्रा0शि0/2017 पार्ट–2 दिनांक 05.02.2018 में अंकित कार्य एवं शर्तों के अनुसार कुल राशि रूपये 90150.00 लाख (अक्षरे रूपये नो सौ एक करोड़ पचास लाख मात्र) की सीमा तक वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय करने हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को निम्न बजट मदों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी के अधिकार प्रदत्त किये जाते है:–

(राशि लाखो मे)

क्र.सं	बजट मद	01– संवेतन (राज्य निधि)	01–संवेतन (केन्द्रीय सहायता)	योग
1.	2202–01–111–(01)–[00] (मांग संख्या–24)	21500.00	32300.00	53800.00
2.	2202–01–111–(02)–[00] (मांग संख्या–51)	7700.00	10200.00	17900.00
3.	2202–01–111–(03)–[00] (मांग संख्या–30)	7800.00	10650.00	18450.00
	योग	37000.00	53150.00	90150.00

(अक्षरे रूपये नो सौ एक करोड़ पचास लाख मात्र)

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के लिए निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति मे नही किया जायेगा। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा कार्य की प्रगति एवं व्यय का विवरण प्रतिमाह निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग बीकानेर को प्रेषित किया जायेगा तथा उक्त बजट मदों में होने वाले व्यय के अंकमिलान के कार्य में सहयोग देंगे।

www.rajteachers.com

आज्ञा से,

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :–

1 प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हक (लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राजस्थान, जयपुर।

2 उप शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान।

3 निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर ।

4 आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान जयपुर ।

5 उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग।

6 कोषाधिकारी , कोष कार्यालय बीकानेर ।

8. अतिरिक्त निदेशक,वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग जयपुर।

9 अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।

10 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)